कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःआर-46/जे0डी0/लखनऊ-13(गा0बाद)/91 दिनांकःमार्च 22 ,2013

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स लैण्ड काफ्ट डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम महरौली जनपद गाजियाबाद मे विकसित की जा रही इण्टीग्रटिड प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निमार्ण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 2131/मा0 प्लान/12-13 दिनांकः 01-02-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांकः 12-03-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक मेरठ फा0स0 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-

कुल प्लाट एरिया-76,627.26 वर्ग मी0 है जिसमे प्रस्तावित भवनो का फलोर वाईज एरिया निम्नवत हैः-

कमांक	नाम ब्लाक	नाम टावर एवं तल	ग्राउण्ड/स्टिल्ट कवर्ड एरिया वर्ग मी0	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	भवन की ऊँचाई मीटर मे
1	ए0	1ए0-02बी0 एवं 25	898.312	22,223.455	78.37
2	ए0	02ए0-02बी0 एवं 25	932.965	22,735.320	78.37
3	ए0	03ए0-02बी0 एवं 25	749.868	18005.785	78.37
4	बी0	01बी0, 02बी0, 03बी0 -02बी एवं 25 तल	1982.060	48526.808	78.37
5	डी0	01डी0- 02बी0, एस एवं 02 तल 02डी0- 02बी0, एस एवं 02 तल 03डी0- 02बी0, एस एवं 29 तल	1984.612	1844.353 2123.917 22958.00	9.075 9.075 90.75
6	डी0	कामर्शियल टावर 02 डी0 एवं 03 डी0	927.963	927.962	भूतल
7	–	कम्यूनिटी	469.650	1621.962	10.50

भवन का अधिभोग विवरणः-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवसीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1- पहुच मार्गः- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 60 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई–06.005 मी0 है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–15.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–15.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–15.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–15.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है जिसमे पार्किंग इत्यादि भी अनुमन्य नही है।

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के ब्लाक मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्य हेतु एक लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः– भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः भवन की प्रत्येक ब्लाक/ टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, क्षमता का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरील मय डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन के ब्लाक/ टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः:– 45 मीटर से ऊँचे सम्पूर्ण भवनों मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः–60 मी0 से ऊँचे समस्त भवन टावरों मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–समस्त भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

10–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त तलो पर एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस मुख्यालय

13–हैलीपेडः– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।

14–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स लैण्ड काफ्ट डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम महरौली जनपद गाजियाबाद मे विकसित की जा रही इण्टीग्रटिड प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निमार्ण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फा0स0 मुख्यालय
लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4– मैसर्स लैण्ड काफ्ट डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम महरौली जनपद गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।